स्थानीय स्वायत्त शासन

नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
४

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहिला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित बा । सामग्रीके स्रोतके रुपमे संवैधानिक संवाद केन्द्रहे साभार व्यक्त कैके गैरब्यावसायिक प्रायोजनके लग यी पोष्टाके अंश फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था करे सेक्जाई । उ फेन प्रकाशन ओ/वा उल्था कैलक एकप्रति संवैधानिक संवाद केन्द्रहे उपलब्ध कराईकपरी ।

साजसज्जा ओ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

थप जानकारी वा यी पोष्टाके लग तरक ठेगानामे सम्पर्क कैबी

संवैधानिक केन्द्र

तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौं

टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

स्थानीय स्वायत्त शासन

शृङ्खला - ४

स्थानीय स्वायत्त शासन १
परिचय १
स्थानीय स्वायत्त शासनके सिद्धान्त १
वित्तीय स्वायत्तता ३
नेपालमे स्थानीय स्वायत्त सरकार कानुन ४
स्थानीय निकायके काम कर्तव्य ५
स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ ६
संविधानसभाके चुनौती ७

स्थानीय स्वायत्त शासन

परिचय

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण असल शासनके एकठो तत्व हुइलेक ओर से लोकतान्त्रिक अभ्यासके अभिव्यक्ति फेन हो । प्रभावकारी जनप्रशासनके लग फेन यी एकठो पूर्वशर्त हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायकेसँगसँगे निर्वाचित स्थानीय निकायके फेन लोकतान्त्रिक शासन ओ प्रशासनके प्रमुख कर्ता हुइट कना बात मान्यता प्राप्त कै सेक्ले बा । ओइने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसे सहकार्य करके,ओकरसँगे ओइनके सार्वजनिक कामके अपन स्वायत्त क्षेत्र फेन रहठिन् । राष्ट्रके स्वरूप सङ्घीय, क्षेत्रीय वा एकात्मक चाहे जौन हुइले से फेन लोकतन्त्रके एक अत्यावश्यक तत्वके रूपमे स्थानीय लोकतन्त्र रहठ ।

नागरिकके सँगे सबसे लग्गे रहलक निर्वाचित निकाय सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन करेक परठ । सामान्यतया, सम्बन्धित अधिकार स्पष्ट पारक लग राष्ट्रिय, क्षेत्रीय ओ स्थानीय उत्तरदायित्वहे संविधान ओ कानुन जो छुट्याइपठ । विकेन्द्रित संस्थानहे छुट्यागैलक काम सम्पादन करेक लग ओइनके लग आवश्यक साधन स्रोतमे पहुँचके प्रत्याभूति फेन संविधानहे करे परठ ।

नेपालके पाछेक इतिहासमे स्थानीय सरकार कमजोर ओ निस्क्रिय रहलेक देखापरल । ग्रामीण ओ शहरी दुनु क्षेत्रमे विकेन्द्रीकरण ओ विकासके सिद्धान्तमे आधारित स्वायत्त शासन पद्धति लागू कैना अपेक्षा संवैधानिक ओ कानुनी व्यवस्था कैले बा । नेपालके आवश्यकताके लग व्यावहारिक एवं उत्तरदायी रहलक ओ असल ओ प्रजातान्त्रिक शासनके अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप रहलेक स्थानीय सरकार पद्धतिहे कार्यान्वयन कैना उल्लेख्य रूपमे कानुनी ओ प्रशासनिक सुधार कैना वर्तमान स्थिति आह्वान कैले बा । लावा संविधानके मस्यौदा तयारी यी क्षेत्रमे पुनःदृष्टि देना ओ स्थानीय शासनसम्बन्धी बृहद् ओ लावा अवधारणा तयार करक लग अवसर उपलब्ध करैले बा ।

स्थानीय स्वायत्त शासनके सिद्धान्त

स्थानीय स्वायत्त शासनके ढाँचा, यकर शक्ति संरचना ओ कार्यक्षेत्र देशपिच्छे एकदम फरक फरक रहठ । देशभित्रे फेन स्थानीय सरकार एकाइके आकार ओ सापेक्षिक प्रशासनिक अधिकार एकदम फरक हुइसेकठ । उदाहरणके लग, बहुतसे बर शहरी प्रशासनके वित्तीय, मानवीय ओ प्रशासनिक साधनस्रोत कौनो देशमे धेर रहठ ।

स्थानीय सरकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड ओ मजा अभ्यासके विकास सापेक्षिक रूपमे पछिल्का लहर हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन परिषद् सन् २००७ अप्रिलमे सक्कु तहमे सुशासन प्रवर्धन कैना ओ स्थानीय निकायन्हे सशक्त बनैना मुल साधनके रूपमे 'स्थानीय निकायन्के विकेन्द्रीकरण ओ सशक्तीकरण मार्गनिर्देशिका' पारित कैले रहे । ऊ मार्गनिर्देशिकाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा अनुमोदन कैले रहे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सरकारहे ऊ मार्गनिर्देशिका अनुरूप शासन ओ विकास नीतिके केन्द्रमे विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय विकास हे ढैना तथा सक्कु तहके विकेन्द्रीकरण एवं शासनके सन्दर्भमे ओइनके कानुनी एवं संस्थागत संरचना हे बल्गर (सशक्त) बनैना आह्वान कैले बा ।

ऊ मार्गनिर्देशिकामे स्थानीय शासन ओ विकेन्द्रीकरणके लोकतान्त्रिक, संवैधानिक/कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षमे निहित मुख्य सिद्धान्त प्रस्तुत कैल बा । उहे समयमे, फरक राज्य प्रचलनसहित राज्यके स्वरूप (सङ्घीय, क्षेत्रीय वा एकात्मक) के निश्चित अवस्थाम एइनहे प्रयोग करेपरठ ।

राष्ट्रिय कानुन ओ संविधानमे स्थानीय निकाय हे कानुनी स्वायत्त उप-राष्ट्रिय निकायके रूपमे स्वीकारे परठ । राष्ट्रिय कानुन तथा संविधान स्थानीय निकाय गठनके शैली, ओइनके शक्तिके प्रकृति, ओइनके अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य ओ कामके क्षेत्र निर्धारण करे परठ । सरकारके उच्च क्षेत्रके सन्दर्भमे स्थानीय निकायके भूमिका तथा उत्तरदायित्व हे कानुनी प्रावधानसे स्पष्ट रूपमे उल्लेख करे परठ । ओइनके क्षेत्र वा क्षमतासे बाहेरके भूमिका तथा उत्तरदायित्व केल दोसर निकायहे सौंपेपरठ । राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय निकायसे स्थानीय निकायहे डेगैलक अधिकारसहित ओइनके अपन अधिकार कानुनसे निर्धारण कैगैलक सीमामे रैहके ओइने स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करे पाइकपरठ । ऊ अधिकार पूरा तथा अविभाजित हुइपरठ ओ कानुनसे व्यवस्था हुइलक बाहेक अन्य कौनो निकायसे कमजोर करओइना सीमित करओइना वा अवरुद्ध करओइना नै चाही ।

स्थानीय निकायके सुपरिवेक्षण संविधान वा कानुनसे व्यवस्था कैलक अवस्थामे तथा प्रक्रिया अनुरूप किल करेपरठ । ऊ सुपरिवेक्षण कानुनी निकायके ऐनके वैधताके उत्तरकालीन प्रमाणीकरण (a posteriori verification) मे सीमित हुइपरठ ओ स्थानीय निकायके स्वायत्ततताप्रति यी सम्मान करे परठ । स्थानीय परिषद्के निलम्बन वा विघटन वा स्थानीय कार्यकारीन्के निलम्बन वा बर्खास्तगीक् पाछे कानुनके निर्देशनसे सकेसम छोट समयावधिमे ओइनके काम पुनरारम्भ तय करेपरठ । स्थानीय निकायन्के आन्तरिक प्रशासन संरचनाके निर्धारण, ऊ संरचनाहे स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनैना काम ओ प्रभावकारी व्यवस्थापनहे सुनिश्चित कैना काम सम्भव हुइटसम ओइनहे अपनेहे करे डेहेपरठ ।

साझेदार ओ सङ्घके गठन कैना स्थानीय सरकार स्वतन्त्रता पाइपरठ । स्थानीय सरकारके सङ्घके खासकैके छुट्टे राजनीतिक अस्तित्व रठिस ओ खासकैके ओइने अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क तथा सहयोगके खोजी करटी रहठाँ । कुछ देशमे स्थानीय सरकारके सङ्घ स्थानीय सरकारसम्बन्धी बातमे परामर्शदातृ भूमिका निर्वाह करे पैना संवैधानिक प्रत्याभूति उपभोग करटी रठाँ । नागरिक समाजके सम्पूर्ण पक्ष, विशेष कैके गैरसरकारी संस्था तथा समुदायमे आधारित संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य इच्छुक सरोकारवालाके साथ साझेदारी स्थापना कैना तथा विकास कना अधिकार स्थानीय निकायहे हुईपरठ ।

सार्वजनिक क्रियाकलापमे समाजके असमावेशी तथा सीमान्तीकृत समुदाय तथा क्षेत्रके सहभागिता बढ़ाइक लग पहल कैना फेन स्थानीय सरकारके विशेष भूमिका रहठ । निर्णय प्रक्रियामे तथा सामुदायिक नेतृत्वसम्बन्धी कार्य सम्पादनमे जनसहभागिता एवं नागरिक संलग्नताके उपयुक्त स्वरूप निर्धारण कैना अधिकार स्थानीय निकायहे हुइपरठ । अइसिन स्वरूपमे समाज, जनजातीय तथा लैङ्गिक समूह तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक वर्गके सामाजिक एवं आर्थिक रूपमे कमजोर वर्गके प्रतिनिधित्वक् लग विशेष व्यवस्था करे सेक्जाइठ ।

वित्तीय स्वायत्तता

प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्ततक् लग उपयुक्त वित्तीय स्वायत्तता जरुरी परठ । केन्द्रीय वा क्षेत्रीय शासन स्थानीय निकायहे अधिकार निक्षेप कैलक अवस्थामे ओइनके अधिकार प्रयोग करक लग आवश्यक साधनस्रोतके प्रत्याभूति ओइनहे डेना चाही । स्थानीय अवस्था तथा प्राथमिकता सुहैना कार्यसम्पादन शैली अपनैना स्वतन्त्रता फेन ओइनहे हुइपरठ । स्थानीय निकायन्हे अपन काम तथा जिम्मेवारी पूरा करकलग व्यापक (फराक) मेरके वित्तीय साधनस्रोतमे पहुँच हुइपरठ । ओइनके अधिकारके संरचनाभित्तर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करेसेक्ना पर्याप्त साधनस्रोत वा रकमान्तरके लग ओइने हकदार हुइपरठ ।

स्थानीय निकायसे उपलब्ध हुइना सेवाके खर्च बेहोरक लग आवश्यक वित्तीय स्रोतके महत्वपूर्ण अंश स्थानीय कर, शुल्क तथा दस्तुरसे सङ्कलन करेपरठ । स्तम्भीय (राज्य तथा स्थानीय अधिकारीबीच) ओ क्षैतिजीय (स्थानीय निकायबीच) कैके दुनु मेरके वित्तीय समानीयकरण पद्धतिके माध्यमसे वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित करेपरठ । विशेष कैके स्थानीय कर आधार कमजोर हुइलक वा हुइबे नैकर्लक ठाँउमे अइसिन व्यवस्था करेपरठ ।

नेपालमे स्थानीय स्वायत्त सरकार कानुन

नेपालके संविधान-२०१९ ओ यी संस्थागत करेक खोज्लक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाके बृहद् उद्देश्य विकेन्द्रीकरणके अवधारणाहे कार्यान्वयन कैना रहे । गाउँ, नगर, जिल्ला तथा अञ्चल स्तरमे स्थानीय निकाय गठन कैगैल रहे । ऊ वातावरणमे प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासन वा शक्ति ओ अधिकारके वास्तविक निक्षेपीकरण भर सम्भव नैरहे । अर्ध-प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुइलेसे फेन उ स्थानीय निकाय केन्द्रीकृत राज्यसे स्थापना कैगैलक प्रशासनिक निकाय अन्तर्गतके एकाइके रूपमे किल सेवारत रहे ।

२०४७ सालके संविधानके सबसे कमजोर पक्षमध्ये एकठो ओम्ने 'स्थानीय स्वायत्त शासन'के लग कौनो संवैधानिक प्रत्याभूतिके अभाव रहे । 'राज्यके निर्देशक सिद्धान्त' अन्तर्गत कुछ सम्बन्धित पक्ष उल्लेख कै गैल बा । विकेन्द्रीकरणके माध्यमसे ऊ प्रक्रियामे जनसहभागिता सुनिश्चित करेक लग न्यूनतम सङ्गठनात्मक आधार एवं सैद्धान्तिक आधारके स्पष्ट परिभाषा कैना ऊ संविधान असफल रहल । ऊ संविधानमे संवैधानिक कमजोरी हुइलेसे फेन नवनिर्वाचित बहुदलीय संसद्से तयार कैगैलेक कानुन अन्तर्गत सन् १९९१ पाछे लावा प्रजातान्त्रिक स्थानीय निकाय गठन कैगैल ।

अस्टेक सन् १९९९ के स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ओ उहे ऐनके आधारमे उहीहे कार्यान्वयन कैना तयार परलक स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली सन् १९९१ के गाउँ विकास समिति ऐन, नगरपालिका ऐन तथा जिल्ला विकास समिति ऐनके पूर्व व्यवस्थाहे एकीकृत रूपमे पुन:स्थापित एवं सम्मिलित कैल । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नेपालमे स्थानीय शासनके लग विद्यमान कानुनी आधार तयार कैले बा ।

स्थानीय स्वायत्त शासनके लग छुट्टे भाग (भाग १७) समावेश कैगैलक नेपालके पहिला संविधान २०६३ सालके अन्तरिम संविधान हो । एकर धारा १३९ मे उल्लेख कैल बा - 'स्थानीय स्तरसे नै जन्तन्के सार्वभौमसत्ताके प्रयोग कैना अनुकूल वातावरण बनाके मुलुकके शासन व्यवस्थामे जन्तन्के धेर से धेर सहभागिता प्रवर्धन कैना ओ जन्तन्हे स्थानीय स्तरमे जो सेवा उपलब्ध करैना तथा लोकतन्त्रके स्थानीय स्तरसे जो संस्थागत विकास कैना विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारके निक्षेपणके आधारमे स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायके निर्वाचन कैजाई ।' यी एकठो महत्वपूर्ण कदम हो ओ यी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसे निर्धारित सिद्धान्तहे ठोस बनैले बा । स्थानीय सरकारहे कार्यान्वयनकारी स्वायत्तताके प्रत्याभूति उपलब्ध करैना भर अभिनसम यी असफल बा ओ यी स्थानीय निकायके कार्य सञ्चालन, साधनस्रोत ओ उत्तरदायित्व

सम्बन्धमे अपर्याप्त स्पष्टता किल उपलब्ध कराई सेक्ले बा । धारा १४० स्थानीय निकायहे समानुपातिक साधनस्रोत उपलब्ध कराईपर्ना आवश्यकताहे मान्यता देले बा लेकिन 'कानुनमे व्यवस्था हुइलेक बमोजिम नेपाल सरकार ओ स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकायबीच जिम्मेवारी ओ राजस्व परिचालन तथा बाँडफाँड हुई' कना उल्लेख कैके यी अपनहे सीमित बनैले बा । गाउँ/नगर तह ओ जिल्ला तह संस्थागत क्रियाकलापके प्रमुख क्षेत्र हो कना अन्य तह माध्यमिक भूमिका निर्वाह कठाँ । प्रत्येक वडा तथा प्रत्येक ग्रामीण विकास क्षेत्र वा नगरमे निर्वाचित निकाय क्रमश: वडा समिति, ग्राम परिषद् वा नगर परिषद् हुईपरठ । गाउँ विकास समिति प्रत्येक गाउँ विकास क्षेत्रके कार्यकारी समिति हो ओ ओकर अध्यक्षता निर्वाचित गाविस अध्यक्षसे हुइठ (उहे जो ग्राम परिषद्के बैठक फेन बलैठाँ) वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा गाविस अध्यक्षहे क्रमश: वडा वा गाउँ विकास क्षेत्रके आम मतदाता चुन्ठाई । वडाध्यक्षन गाउँ विकास समितिके सदस्यके रूपमे फेन रहठाँ ।

स्थानीय निकायके काम कर्तव्य

वडाहे फुहर सङ्कलन, नहर, ढल तथा बाँध मर्मतसम्भार; स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय व्यवस्थापनमे मदत ओ परियोजना सुपरिवेक्षणसे सम्बन्धित धेर काम कर्तव्य देहल बा । गाविसके काम कर्तव्य एकदम व्यापक बा । कृषि विकास; बजार, पशुसेवा तथा पशुरोग नियन्त्रणके लग बन्दोबस्त; खानेपानीके व्यवस्था; ग्रामीण सडक तथा पुल निर्माण एवं मर्मतसम्भार; प्राथमिक विद्यालय स्थापना; अपन क्षेत्रके विद्यालयके सुपरिवेक्षण एवं व्यवस्थापन; प्रौढ शिक्षाके व्यवस्था; सिँचाइ; भूक्षय योजना एवं नदी नियन्त्रण; बिजुली उत्पादन; सामुदायिक भवन; भू-उपयोग योजना; स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन एवं मर्मतसम्भार; वृक्षरोपण एवं वातावरण संरक्षण; पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक स्थलके संरक्षण; जनसङ्ख्या, घर, भूमि एवं पशुधनके अभिलेख सङ्कलन; जन्म एवं मृत्यु दर्ता; प्राकृतिक विपद् नियन्त्रणसम्बन्धी काम; अनैतिक क्रियाकलापमे नियन्त्रण; तथा आयमूलक क्रियाकलाप प्रवर्धन जैसिन काम गाविस कैना अपेक्षा कैगैल बा (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन) ।

सामाजिक सुरक्षणके सन्दर्भमे गाविस अन्य बातके अतिरिक्त असहाय, अनाथ एवं अपाङ्ग लर्कापर्कन्के; गाउँभित्तरके जन्नीन्के उत्थान; तथा जन्नी (महिला) एवं लवण्डीन (बालिकन्)के संरक्षणके लग जिम्मेवार रठाँ । गाविस तथा नगरपालिका विकास गतिविधिक लग प्राथमिक रूपमे जिम्मेवार संस्था हुइट । ओइने वार्षिक विकास योजना तयार करेपरठ, वस्तुपरक तथ्याङ्क सङ्कलन करेपरठ, सम्बन्धित क्षेत्रके स्रोत नक्सा तयार करेपरठ; सम्भाव्यता अध्ययन करेपरठ,

परियोजना छनोट कैना ओ ओइनके अनुगमन ओ मूल्याङ्कन करेपरठ; गैससके समन्वय करेपरठ । नगरपालिकाके कानुनी उत्तरदायित्वमे गाविसके उर्फ्क उत्तरदायित्वके अतिरिक्त शहरी आवश्यकतासँगे सम्बन्धित ओ सामान्यतया उच्च स्रोत स्तरके जिम्मेवारी फेन परठ ।

स्थानीय प्रशासनिक यथार्थ

स्थानीय शासनसम्बन्धी हालके नियमन संरचना भुँरियाइल (जटिल) बा ओ प्राय: अन्य कानुनसे बभ्ना मेरके फेन बा । द्वन्द्व ओ स्थानीय तहमे निर्वाचित प्रतिनिधिन्के अनुपस्थितिके कारण हालके वरषमे विकेन्द्रीकरण ओ स्वायत्त शासनके क्षेत्रमे उल्लेख्य प्रगति हासिल करे नै सेक्लक बात सरकार अपनेहे फेन स्वीकरले बा । विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण हुइलेसे फेन स्थानीय निकायहे शक्ति ओ अधिकार निक्षेपीकरण हुइना बाँकीयै बा । अर्थपूर्ण वित्तीय विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनके ओर गम्भीर प्रयास नैहुइल हो । स्थानीय तहके कार्यक्रम संयोजन कैना तथा सुपरिवेक्षण कैना कानुनी अधिकार स्थानीय सरकारहे नै हो । स्थानीय शासनमे लाभग्राहीके पूरा सहभागिताके लग स्पष्ट ढाँचा वा सामाजिक रूपमे समावेश नैहुइलक वर्गके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करक लग संस्थागत प्रावधान उपलब्ध नैहो (नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-सन् २००४) ।

सन् १९९८ मे निर्वाचित स्थानीय निकायके कार्यावधि सन् २००२ मे ओराइल ओ ओकरपाछे ऊ तहके कौनो निर्वाचन नैहुइल । अन्तरिम अवधिकपाछे स्थानीय निकाय निस्क्रिय हुइल । सन् २००२ पाछे स्थानीय तहमे कौनो लोकतान्त्रिक निकायविना जो लगभग सात वरष बितराखल । २०६० सालमे नान्नौलक शाही अध्यादेश नं. १८ के आधारमे केन्द्रीय सरकार 'आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायके काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग करे' पैटी बा । निर्वाचित गाउँ परिषद् तथा गाविस अध्यक्ष नैरहलक कारण गाविस सचिव कामु गाविस अध्यक्षके रूपमे काम करटी बटाँ । ओस्तेके नगरपालिकामे कार्यकारी अधिकृत ओ जिल्ला स्तरमे स्थानीय विकास अधिकृत क्रमश: नगर प्रमुख ओ जिल्ला विकास समिति अध्यक्षके रूपमे कार्यभार सम्हरटी बटाँ । यी तात्कालिक समाधान स्थानीय तथा जिल्ला स्तरीय शासनहे पूरा रूपमे ठप्प हुइनासे बचैले बा लेकिन एकर कारण स्थानीय स्तरके सेवाके गुणात्मकता तथा उपलब्धताके साथे सरकारी संस्थाके जबाफदेहीता ओ उत्तरदायित्वहे भर उल्लेख्य रूपमे प्रभावित बनैले बा ।

यी बाहेक, बहुतसे गाविस सचिव नाउँ भरिक किल साधनस्रोत ओ पहुँचसम्बन्धी समस्यासे पीडित बटाँ । द्वन्द्वके कारण धेर सरकारी अधिकारी विस्थापित हुइलाँ ओ पूर्वाधार ध्वस्त हुइलक ओरसे स्थानीय सरकारके उपस्थिति तथा कार्य सम्पादनमे उल्लेख्य रूपमे प्रभाव पारल ।

सम्बन्धित नियम अनुरूप विकास बजेट निकासा कराइक लग स्थानीय निर्वाचित निकायके विकल्पके रूपमे जिल्ला, नगरपालिका तथा ग्रामीण स्तरमे अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन कैना निर्णय राजनीतिक दल सन् २००६ के सेप्टेम्बरमे करल । ऊ व्यवस्था सन् २००७ के अन्तरिम संविधानमे फेन समावेश कैगैल रहे । सर्वसम्मतिके अभावके कारण उ निकायके गठन भर हुइ नैसेकल हो ओ सातदलीय सूत्रके अनुसरण कैके तयार कैगैलक स्थानीय तदर्थ व्यवस्था अभ्यासमे आइल । वर्तमान संयुक्त सरकार थप स्थायी समाधान घोषणा कैले बा लेकिन ऊ व्यवस्थाके कार्यान्वयन भर बाँकी बा (सन् २००९ के जनवरीसमके स्थिति अनुसार) ।

संविधानसभाके चुनौती

लावा संविधानसमक्ष स्थानीय स्वायत्त शासन एकठो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्जैले बा । विशेष कैके राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धमे जारी बहसके सन्दर्भमे सशक्त ओ स्वायत्त स्थानीय निकायके संवैधानिक प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष छलफल आवश्यक बा । दुई तहके सङ्घीय पद्धति स्थानीय स्वायत्त शासन वा स्थानीय सरकारके अवधारणाहे पुनःस्थापित करे नै सेकठ । सङ्घीय राज्य संरचनाके तेसर तहके रूपमे स्थानीय स्वायत्त शासनके अपने फरक स्थान बटिस् । प्रभावकारी स्वायत्त शासनयुक्त पद्धति सङ्घीय पद्धतिके उद्देश्य हासिल कैना ओर सघाई सेकठ ।

उहेकमारे स्थानीय स्वायत्त शासनके सन्दर्भमे संविधानसभा सम्बोधन करेसेक्ना कुछ बुँदा निम्नानुसार बा :

» प्रभावकारी स्थानीय स्वायत्त शासनके प्रत्याभूति करेक लग स्थानीय निकायहे का का शक्ति ओ अधिकार विकेन्द्रित ओ निक्षेपित करे सेक्जाई ?

» संविधानमे जो समावेश कैजैना स्वायत्त शासनके आधारभूत तत्व का का हो ओ कानुन जो निर्धारण कैना अन्य तत्व का का हो (राष्ट्रिय स्तरमे तथा उप-राष्ट्रिय स्तरमे) ?

» स्थानीय निकायके लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रहे धेर से धेर पारेक लग ओइने कैसिन निर्वाचन प्रणाली अपनाईपरठ ?

» स्थानीय निकायके संरचनाके तह एवं किसिम कैसिन हुईपरठ ? विद्यमान स्थानीय निकायके सन्दर्भमे का का लावा व्यवस्था करेपरठ ओ ओइनके बिच कैसिन अन्तरसम्बन्ध हुईपरठ ?

» वित्तीय स्वायत्तता प्रत्याभूति कैना स्थानीय निकायके लग आर्थिक स्रोत (कर, शुल्क, रकमान्तर) सम्बन्धी बात ।

» संविधान अन्तर्गत स्थानीय निकायहे का का विधायिकी तथा न्यायिक अधिकार डेहे परठ ?

» स्थानीय निकायके लग कर्मचारी भर्ना कैना प्रशासनिक स्वायत्तता वा राज्यसे निजामती कर्मचारी खटैलक व्यावहारिकतासम्बन्धी बात ।

» विकास प्रक्रियामे पर्लेक जन्नीन ओ सीमान्तीकृत क्षेत्रके सहभागिता ओ प्रतिनिधित्वके लग का का विशेष पहल तथा संयन्त्र तयार करेपरठ ?

» स्थानीय निकायके विद्यमान सीमा, बनावट ओ सङ्गठनात्मक स्वरूपमे बदलाक (परिवर्तन) के लग ढाँचा ।

» सङ्घीय पद्धतिमे स्थानीय तथा उप-राष्ट्रिय सरकार ओ स्थानीय ओ केन्द्रीय सरकार बीचके अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी बात ।

पोष्टक-शृङ्खलक बारेम

संविधानसभक् सदस्य तथा इच्छुक सर्बसाधारणहे संविधान निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत जानकारी उपलब्ध करैना जो यी पोष्टा-शृङ्लाके उद्देश्य हुइस । यी प्रकाशन संवैधानिक परिणामबारे कौनो फेन मेरसे पूर्वानुमान कैना अवधारणापत्र वा प्रस्ताव वा मनसाय नै हो । यी शृङ्खला संयुक्त राष्ट्रसंघीय बिकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) के 'नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माणके लग सहयोग' (एसपीसीबीएन) परियोजनाके समन्वयमे नेपाली ओ अन्तर्राष्ट्रिय संबिधानविदन्के सामूहिक प्रयासके प्रतिफल हो ।

यी पोष्टाहे अभिन परिस्कृत बनाइक लग प्रतिक्रिया ओ टिप्पणीके लग विशेष अनुरोध बा । धेर से धेर सुसूचित, प्रतिबद्ध ओ रचनात्मक छलफलहे प्रोत्साहित कर्ना यी प्रकाशन सफल हुइलेसे किल अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुई । मिल्लक टिप्पणीके आधारमे यी पोष्टाके लावा ओ फादिल संस्करण तयार करे सेक्जाई ।

यी शृङ्खलाहे नेपालके कुछ मुख्य राष्ट्रभाषामे उल्था कैना क्रममे उच्च गुणस्तर कायम कैना ओ सम्बन्धित भाषक् बहुसंख्यक मनै बुझ्ना सही शब्द प्रयोग कैना हरसम्भव प्रयास कै गैल बा । शब्दावलीके उपयुक्त ओ सही प्रयोगबारे मेरमेरके भाषिक समुदायन्के बिच भविष्यमे छलफल ओ बहस हुइना अपेक्षा करे सेक्जाई । संवैधानिक संवाद केन्द्रके उद्देश्य ओइसिन बहसहे कौनो फेन मेरके छाँहीम नै पर्ना कि उ भाषाहे फेन समाबेश कैके यी प्रयासमे समावेश कैके ओ पहुँचके अधिकतम बृद्धि कैना हो ।

देशमे संविधान निर्माणसँगे सान्दर्भिक बिषयबस्तुबारेम संवैधानिक संवाद केन्द्रक तयार करे जैटी रलक शृङ्खलाबद्ध पाठ्यसामग्रीके एकठो अंश यी पोष्टा हो ।

सभासदन्से लेके यी बिषयबस्तुमे चासो ढैना सर्वसाधारणहे प्रमुख संबैधानिक अवधारणा ओ मुद्दामे सामिल करैना यी शृङ्खलाबद्ध प्रकाशनके उद्देश्य हो । शृंखला अन्तरगतके प्रत्येक पोष्टा नेपालमे बोल्ना मुख्य भाषा (नेपाली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामाङ, नेवार) ओ अंग्रेजी भाषामे उपलब्ध बा । यी पाठ्सामग्रीक श्रब्य संस्करण (क्यासेट, डीभीडी) फेन उपलब्ध बा ओ इहीहे अनलाइनमे फेन ढै गैल बा ।

पहिला चरणमे यी प्रकाशन शृंखलामे समेटगैल बिषयबस्तु यी मेरके बा : राज्य ओ धर्म, संघीय प्रणाली, संबिधानमे मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिन्के अधिकार, अल्पसंख्यकके अधिकार, सरकारके प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता ओ सामाजिक समावेशीकरण ओ सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तेसर तल्ला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**